



Neutral Citation No. - 2026:AHC:27962

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - **17964/2024**

आशीष दुबेयाचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्यप्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: कृष्ण मोहन ओझा

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि वर्तमान याचिका निष्प्रभावी हो गई है और वह वर्तमान रिट याचिका को वापस लेने की अनुमति चाहते हैं।
2. तदनुसार, वर्तमान रिट याचिका निष्प्रभावी हो जाने के कारण खारिज की जाती है।

(माननीय विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

6 फरवरी, 2026 वीरेंद्र

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"